(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 36 /2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई, 2018

सा.का.नि.....(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 46 तथा 47 के साथ पठित धारा 157 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, आगम पत्र (इलेक्ट्रॉनिक इंटिग्रेटेड डिक्लेरेशन) रेग्यूलेशन, 2011 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा लोप की जाने वाली बातों को छोड़कर,एततद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ -** (1) इन विनियमों को आगम पत्र (इलेक्ट्रॉनिक इंटिग्रेटेड डिक्लेरेशन और पेपरलेस) रेग्यूलेशन, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये विनियम उन सभी सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से माल के आयात पर लागू होंगे जहां भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम अमल में हैं।

   (3) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं** -

(1) इन सभी विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) "अधिकृत व्यक्ति" से अभिप्राय उस आयातक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति से है जिसके पास सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियम, 2013 या इसी तरह के मामलों से संबंधित किसी अन्य विनियमन के तहत वैध लाइसेंस हो और इसमें कस्टम ब्रोकर के वे कर्मचारी भी शामिल है, जिसे सीमा शुल्क सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियम, 2013 अथवा इसी तरह के मामलों से संबंधित किसी अन्य विनियमन के तहत फॉर्म जी में फोटो पहचान पत्र जारी किया गया हो;

(ग) "आगम पत्र" से अभिप्राय है भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा को स्वीकार किया गया और एक यूनिक नंबर जेनरेट किया गया और उस विशेष आगम पत्र को दिया गया, और इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या प्रिंट-आउट शामिल हैं;

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अर्थ वही होगा जो इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया है;

(घ) "इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा" से अभिप्राय आयातित वस्तुओं से संबंधित विवरण से है जोकि भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम में दर्ज हैं;

(ङ) "आईसीईजीएसटी" से अभिप्राय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली से है;

(च) "सेवा केंद्र" से अभिप्राय उस स्थान से है जिसे प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जहां इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा की डेटा प्रविष्टि की जाती है;

(छ) "सहायक दस्तावेज" से अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य रूप में उन दस्तावेजों से है, जोकि अधिनियम की धारा 17 और 46 के तहत आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक हैं।

(2) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है और इसमें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा कि उक्त अधिनियम में दिया गया था।

3. अधिकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा करेगा और स्वयं सहायक दस्तावेजों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा और उनकी सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में प्रविष्टि करेगा और इससे उसे सेवा केंद्र पर सेवाओं का लाभ उठाकर सहायक दस्तावेजों के साथ सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर की गई इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा भी मिल सकती है।

स्पष्टीकरण.- इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, शब्द "डिजिटल हस्ताक्षर" का वही अर्थ होगा जैसाकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया है;

4. (1) अधिकृत व्यक्ति, जिस दिन विमान या जहाज या वाहन सामान लेकर उस सीमा शुल्क स्टेशन पर आता है, जिस सीमा शुल्क स्टेशन पर ऐसी वस्तुओं को घरेलू उपभोग या गोदाम के लिए मंजूरी दी जानी है, के अगले दिन के अगले दिन(छुट्टियों को छोड़कर) की समाप्ति से पहले आगम पत्र को फाइल करेगा।

(2) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा की प्रविष्टि या सेवा केंद्र में डेटा प्रविष्टि कराने के बाद आगम पत्र को फाइल किया गया और और स्व-मूल्यांकन पूरा कर लिया गया, माना जाएगा। उक्त घोषणा के लिए भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम के द्वारा आगम पत्र नंबर जेनरेट किया जाएगा और आगम पत्र की स्व-मूल्यांकन की हुई प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिकृत व्यक्ति को प्रेषित की जा सकती है या सेवा केंद्र पर मुद्रित की जा सकती है।

(3) जहां उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर आगम पत्र फाइल नहीं किया जाता है तथा सीमा शुल्क का उचित अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि इस तरह के देरी के लिए पर्याप्त कारण नहीं था तो आयातक को इस चूक के लिए शुरुआती तीन दिनों के लिए प्रति दिन पांच हजार रुपये तथा उसके बाद होने वाली प्रत्येक चूक के लिए दस हजार रूपए प्रतिदिन की दर से आगम पत्र की देर से प्रस्तुति के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

बशर्ते कि जहां उचित अधिकारी देरी के कारणों से संतुष्ट हो, तो वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 46 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक में संदर्भित प्रभारों को छोड़ सकता है।

(4) किसी भी बिल के संबंध में उप-विनियम (3) में संदर्भित विलंब से प्रस्तुत करने पर लगने वाला प्रभार किसी विशेष आगम पत्र के संबंध में देय शुल्क से अधिक नहीं होगा।

बशर्ते कि जहां आगम पत्र के संबंध में कोई भी शुल्क या अन्य प्रभार

किसी भी कारण से जैसे छूट या अन्यथा, देय नहीं है, वहां विलंब से प्रस्तुत करने पर लगने वाला प्रभार पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

5. मूल्यांकन पूरा होने के बाद, धारा 47 या धारा 68 की उप-धारा (1), जैसा भी मामला हो, के तहत आयातित सामान की जांच, यदि आवश्यक हो तो, के पश्चात निकासी की अनुमति देने का आदेश दिया जाएगा और विनियमन 5 के तहत आदेश को सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर रिकॉर्ड किया जा सकता है और अधिकृत व्यक्ति, कस्टोडियन और अधिकृत व्यक्ति द्वारा नामित किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा सकता है।

6. प्राधिकृत व्यक्ति आगम पत्र को प्रस्तुत करने की तिथि से 5 साल की अवधि के लिए आगम पत्र की मूल्यांकन प्रति को डिजिटल या अन्यथा, रूप में तथा सभी सहायक दस्तावेजों को, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा प्रस्तुत करते समय इस्तेमाल किया था या उन पर भरोसा किया था, अपने पास रखना होगा और उन्हें अधिनियम या उस समय के किसी अन्य कानून के तहत किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही के संबंध में कस्टम के सामने प्रस्तुत करना होगा।

7. आगम पत्र की प्रमाणित प्रति को अधिकृत व्यक्ति के अनुरोध पर जेनरेट किया जा सकता है यदि तत्समय प्रवृत्त कानून के प्रावधान के अनुपालन के लिए उसे उक्त प्रतिलिपि की आवश्यकता होती है।

8. कोई अधिकृत व्यक्ति, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहता है तो वह जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी राशि पचास हजार रुपये तक की जा सकती है।

[फा. सं. 450/148/2015-सीमाशुल्क (IV)]

(जुबैर रियाज)
निदेशक(सीमा शुल्क)